आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर शस्त्रवाद 5/15	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
6/1/2015	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **राजीव रंजन सिंह, पिता-श्री कृष्ण मोहन सिंह, ग्राम-राघोपुर डुमरी बुजुर्ग, थाना-नया गाँव, जिला-सारण** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5584/गो0 18.12.14 के द्वारा आवेदक राजीव रंजन सिंह, पिता-श्री कृष्ण मोहन सिंह, ग्राम-राघोपुर डुमरी बुजुर्ग, थाना-नया गाँव, जिला-सारण का पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जाँच के उपरान्त आरम्भ किया गया है। आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गयी। आवेदक के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ठेकेदारी का कार्य कार्य किया जाता है। पूर्व में उनके साथ आपराधिक वारदात घटित हुआ है, जिससे संबंधित स्थानीय थाना नया गाँव में कांड सं0 36/12 दिनांक 14.4.12 धारा-144/341/342/386/436 भादवि एवं 17 सी. एल. एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज है! अपनी जान-माल की सुरक्षा के लिए इनके द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया। आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन को जॉचोपरान्त थानाध्यक्ष, नया गाँव के ज्ञापांक डी.आर. 1268 दिनांक 8.11.12, डी.आर 796 दिनांक 19.8.13 एवं डी.आर. 1055 दिनांक 6.10.14, पुलिस निरीक्षक, सोनपुर के ज्ञापांक 1608 दिनांक 16.12.14, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर के ज्ञापांक 113 दिनांक 24.1.13 एवं 3030 दिनांक 17.12.14 एवं अंचलाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 566 दिनांक 23.5.13 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5584/गो0 दिनांक 18.12.14	

के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु पेषित किया गया।

पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा प्रेषित पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार, आवेदक के साथ ठेकेदारी में मिट्टी का कार्य करने के कम में आपराधिक घटना घटी थी, जिससे संबंधित नया गॉव थाना कांड सं0 36/12 दिनांक 14.4.12 धारा–144/341/342/386/436 भादवि एवं 17 सी.एल. एक्ट के अंतर्गम मामला दर्ज है। आवेदक के विरूद्व किसी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास थाना अभिलेख में दर्ज नहीं है। पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा अनुशंसा के साथ उक्त प्रतिवेदन को प्रेषित किया गया है।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका की वजह से शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की गयी है। आवेदक के उपर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार आवेदक के कथन थानाध्यक्ष, नया गॉव, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा से संतुष्ट होकर आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक राजीव रंजन सिंह, पिता–श्री कृष्ण मोहन सिंह, ग्राम–राघोपुर डुमरी बुजुर्ग, थाना–नया गॉव, जिला–सारण को सम्पूर्ण बिहार में वैधता के साथ एक पिस्टल की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर)
जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

(हस्ताक्षर)
जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 07 /शस्त्र दिनांक 13/1/15

प्रतिलिपि – S.P. सारण / जिला शस्त्र उपस्था0, सारण / D.O., NIC, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा